भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U.S. Affixed Rs. : 7

GK 869431

(प्रारूप-"ज")

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible] पुत्र [illegible] सिंह [illegible] कालेज [illegible] एवं [illegible] [illegible] कुमारगंज, अयोध्या [illegible] निम्नलिखित बयान करते है-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा [illegible] कालेज [illegible] एवं [illegible] [illegible] कुमारगंज, अयोध्या [illegible] विद्यालय [illegible] की [illegible] सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम [illegible] कुमारगंज, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 717/718/719/729/730 कुल रकबा [illegible] भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा-4 यह कि उपरोक्त [illegible] सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 717/718/719/729/730 कुल रकबा [illegible] भूमि है। [illegible] सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक [illegible] द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित [illegible] के संचालन हेतु [illegible] निर्धारित [illegible] के अनुरूप [illegible]

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के [illegible] के नाम भूमि [illegible] एवं निर्धारित [illegible] को [illegible] समिति के समक्ष निरीक्षण [illegible] प्रस्तुत किया गया है।

(1)

धारा–7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा–8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा–9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जोयगा।

धारा–10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा–11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा–12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा–13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगें।

ह0 अध्यक्ष

ह0 प्रबन्धक

NOTARY S.K. GUPTA ... INDIA

N.S. Ahmad Rd.

Sahil Singh / Dharmendra Pratap Singh
Amar Singh

Deponent Sri. ... Amar Singh
Identified by Sri ...
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

1/9/23

NOTARY